न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./14/2023

1. पीरूलाल पुत्र गोहनलाल जाति माली निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. रंगलाल पुत्र गोहनलाल जाति माली निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. भूला पुत्री लादू
2. महावीर पुत्र लादू
3. रतन पुत्र लादू
4. राजी देवी पत्नी लादू(मृतक) बजाय वारिसान अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 व 5
5. रामू देवी पत्नी स्व0 नन्दराम समस्त जातिगण माली
6. किशना पुत्र महाराम (मृतक) बजाय उनके वारिसान अप्रार्थी सं0
   6/1 रामचन्द्र पुत्र किशना जाति माली निवासी भिनाय(पुत्र)
7. नाथू पुत्र कल्याण
8. मुकेश पुत्र नाथू
9. मूला पुत्र महाराम(मृतक) बजाय उनके वारिसान अप्रार्थी सं0 07
10. मोहन पुत्र भूरा(मृतक) बजाय उनके वारिसान प्रार्थी सं0 01 व 02
11. लालू पुत्र बालकिशन जाति माली निवासी भिनाय तहसील भिनाय(मृतक) बजाय उनके वारिसान
    11/1 रामनाथ पुत्र सुवा जाति माली निवासी भिनाय तहसील भिनाय
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम   निर्णय दिनांकः–13.02.2023

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– मौहम्मद युसुफ
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा भिनाय ए पटवार क्षेत्र भिनाय ए भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 1069 में दर्ज खसरा नं. 5358 रकबा 0.05 और खसरा नम्बर 5359 रकबा 0.08 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.13 हैंक्ट0 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 11 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 12 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 04, 06, 09 और 10 को जारी नोटिस फौती सुचना के साथ प्राप्त हुए। वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत विधिक प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थीगण संख्या 04, 06, 09 और 10 के वारिसान को पत्रावली रिकोर्ड पर लिया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 6/1 और 11/1 को जरिये रजिस्ट्रर ए0डी0 नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01, 6/1 और 11/1 की

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं0 01, 6/1 और 11/1 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 02, 03, 05, 07 और 08 द्वारा पत्थरगढ़ी बाबत् अनापत्ति प्रस्तुत की। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम भिनाय ए के खाता संख्या 1069 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा भिनाय ए पटवार क्षेत्र भिनाय ए भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 1069 में दर्ज खसरा नं. 5358 रकबा 0.05 और खसरा नम्बर 5359 रकबा 0.08 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.13 हैक्ट0** हेतु नायब तहसीलदार भिनाय को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)